दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि :- 08.05.2023

ज़मानत आवेदन 1240/2023

महेश कुमार .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आई.ए. सिद्दीकी, अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता स्वयं

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सतीश कुमार, राज्य के लिए अति.लो.अभि. सह उप.नि. अजय शर्मा, पुलिस थाना कल्याणपुरी |

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>स्वर्ण कांता शर्मा, न्या. (*मौखिक*)</u>

1. वर्तमान आवेदन अभियुक्त/आवेदक की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 482 सहपठित धारा 439 के तहत दायर किया गया है,

जिसमें भारतीय दंड संहिता ('भा.दं.सं.') की धारा 363/376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ('पॉक्सो अधिनियम') की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिल्ली के कल्याणपुरी पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी सं. 181/2021 के मामले में नियमित जमानत की मांग की गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 30.04.2021 को पुलिस को अभियोक्त्री 'एक्स' की बहन द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वह घर से गायब थी। इस मामले में जांच की गई और जांच के दौरान पता चला कि वह वर्तमान अभियुक्त/आवेदक, जिसका मोबाइल फोन नंबर पुलिस को प्रदान किया गया था, से बात करती थी। उक्त मोबाइल फोन नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) प्राप्त किया गया और उसके विश्लेषण से पता चला कि मोबाइल फोन की लोकेशन दिनांक 23.04.2021 को दिल्ली में और दिनांक 25.04.2021 को चेन्नई, तमिलनाडु में थी। सीडीआर लोकेशन के विश्लेषण के आधार पर, अभियोक्त्री को चेन्नई से बरामद किया गया, जिसने पुलिस को सूचित किया कि वह अपनी इच्छा से आरोपी के साथ आई थी। वर्तमान प्राथमिकी इसके बाद धारा 376 भा.दं.सं. और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज की गई थी। जांच के बाद, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा आरोप-पत्र दाखिल किया गया। जांच के दौरान अभियोक्त्री सात सप्ताह की गर्भवती पाई गई। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि वर्तमान अभियुक्त/आवेदक बच्चे का जैविक

पिता था। आरोप-पत्र दाखिल किया गया और आवेदक दिनांक 07.06.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. वर्तमान अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि आवेदक और अभियोक्त्री एक दूसरे के साथ संबंध में थे और यह अभियोक्त्री के कहने पर था कि वे अपने घर से भाग गए थे। यह कहा गया है कि अभियोक्त्री का बयान धारा 161 और 164 दं.प्र.सं. के साथ-साथ न्यायालय में दर्ज किया गया था जहां उसका अभि.सा.-1 के रूप में परीक्षण किया गया था और उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया था। यह भी कहा गया है कि अभियोक्त्री का परीक्षण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। आगे यह कहा गया है कि अभियोक्त्री जो कि अदालत में उपस्थित है, वह भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करती है और कहती है कि कथित घटना के समय वह 18 वर्ष की आयु की थी।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. का तर्क है कि घटना के समय अभियोक्त्री केवल 16 वर्ष की आयु की थी और उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है और इसलिए जमानत अस्वीकार की जानी चाहिए।

5. मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री को देखा है।

6. वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री को नोटिस जारी किया गया था क्योंकि अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुनवाई की जा रही थी। अभियोक्त्री इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई और कहा कि वह घटना के समय 18 वर्ष की आयु की थी, हालांकि अभिलेख अर्थात उसके विद्यालय का अभिलेख कथित दावे का समर्थन नहीं करता है। इस मामले में ऑसिफिकेशन परीक्षण नहीं किया गया था। अभियोक्त्री के बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि धारा 161 और 164 दं.प्र.सं. के तहत अपने बयान के साथ-साथ न्यायालय में दर्ज किए गए अपने बयान में, उसने लगातार कहा है कि वह आरोपी के साथ अपनी स्वतंत्र इच्छा से गई थी क्योंकि वह उसे पसंद करने लगी थी। उसने लगातार यह भी कहा है कि उसके आग्रह पर ही आरोपी उसे चेन्नई ले गया था क्योंकि वह अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने यह भी कहा कि उसने आरोपी के साथ चेन्नई जाते समय उसे बताया था कि वह 18 वर्ष की आयु की है। धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किए गए बयान से भी यही संकेत मिलता है। अभिलेख के अवलोकन से आगे पता चलता है कि उसने कहा था कि चेन्नई में, जब अभियुक्त को यह पता चला कि वह 18 वर्ष से कम आयु की है, तो उसने खुद उससे कहा था कि वह उसके 18 वर्ष की आयु की हो जाने पर उससे शादी कर लेगा। यह स्वयं अभियोक्त्री का मामला है कि उसने तुरंत गर्भवती होने का विचार दिया था ताकि यदि उन्हें संतान प्राप्त होगी, तो उसके माता-पिता उनके रिश्ते पर आपत्ति नहीं करेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में अभियुक्त की आयु

भी 19 वर्ष है। अभियोक्त्री ने कहा है कि प्रासंगिक समय पर वह 18 वर्ष की आयु की थी। यह न्यायालय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है कि वह प्रासंगिक समय पर 16 वर्ष की थी या 18 वर्ष की। धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किए गए बयान में अभियोक्त्री द्वारा विद्वान दंडाधिकारी को दिए गए उत्तर का उल्लेख है कि उसकी वास्तविक आयु 18 वर्ष है और 16 वर्ष नहीं। यद्यपि विद्वान दंडाधिकारी ने धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत एक प्रश्न के संबंध में एक उत्तर प्रपत्र में यही लिखा है, न तो विद्वत दंडाधिकारी ने उससे पूछा और न ही उसने यह दर्ज किया कि वह क्यों कह रही थी कि वह, वास्तव में, 18 वर्ष की आयु की थी।

7. चाहे जो भी हो, यह तथ्य अभिलेख से स्पष्ट रहता है कि यह एक किशोर अवस्था की प्रेम कहानी थी, जहां कहानी के मुख्य पात्र अर्थात् अभियोक्त्री 'एक्स' और अभियुक्त केवल अपनी किशोरावस्था में थे। जैसा कि अभियोक्त्री के बयान से स्पष्ट है, दोनों में एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे। अभियोक्त्री उससे शादी करना चाहती थी और इसलिए, प्यार में होने के कारण, दोनों ने दिल्ली छोड़ दी ताकि वे अपने परिवारों से दूर शांति से रह सकें। कहानी से पता चलता है कि आरोपी लड़के ने काम करना शुरू कर दिया और अभियोक्त्री की देखभाल की। अभियोक्त्री ने उसे एक और विचार दिया, जैसा कि उसने अपने बयान में कहा, कि यदि उन्हें संतान प्राप्ति होगी, तो उनके माता-पिता उनकी शादी को स्वीकार कर लेंगे।

8. हालांकि, यह पूरी कहानी एक रोमांटिक उपन्यास या किशोर अवस्था के प्रेम के बारे में एक फिल्म की कहानी की तरह है, वास्तविक जीवन में, इस न्यायालय ने देखा है कि इसमें दो मुख्य पात्र थे जो एक-दूसरे से प्यार करते थे, एक-दूसरे का समर्थन करते थे और किसी तरह से शादी में अपने रिश्ते को वैध बनाना चाहते थे, और इसके लिए, अभियोक्त्री के दिमाग में एकमात्र विचार जो आया वह उनके समागम से एक बच्चे को जन्म देना था।

9. यह न्यायालय पाता है कि अभियोक्त्री धारा 161 और 164 दं.प्र.सं. के तहत अपने बयान के साथ-साथ न्यायालय के समक्ष भी सुसंगत रही है और वह उस व्यक्ति का समर्थन करती है जिससे वह प्यार करती है और अपनी खुशी में इस बात से अनजान कि इस देश में कानून ऐसी प्रेम कहानियों का समर्थन नहीं करता है। मुख्य चरित्र अर्थात् वर्तमान अभियुक्त एक अपराधी नहीं है, बल्कि केवल प्रेम में था और अपनी प्रेमिका के कहने पर, विधि की बारीकियों से अनभिज्ञ होने के कारण, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उसे एक ऐसे स्थान पर ले गया जो दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूर था। अभिलेख से किसी भी तरह का आपराधिक उद्देश्य पूरी तरह से गायब है क्योंकि कहानी के किसी भी चरित्र अर्थात अभियोक्त्री और अभियुक्त ने अपना मोबाइल फोन बंद नहीं किया था ताकि उनका स्थान पुलिस या उनके परिवार को उपलब्ध न हो। पुलिस केवल उनके मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर उनका पता लगाने में समर्थ थी। उन्होंने पाया कि आरोपी एक नाई की दुकान में काम कर रहा था और अपने और

अभियोक्त्री के लिए कमाई कर रहा था और वह सात सप्ताह की गर्भवती थी जो वह उसके खुद के आग्रह पर थी। इस न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री ने जोर देकर कहा कि वह 18 वर्ष की हो गई है और उसे और अभियुक्त को एक महीने के भीतर शादी करनी है।

10. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि यद्यपि वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और तथ्यों में किसी नाबालिग की सहमति का कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं हो सकता है, फिर भी किसी न्यायालय के लिए यह विवेकपूर्ण नहीं होगा कि वह इसमें आवेदक को एक अभियुक्त के रूप में चिह्नित करे, क्योंकि यहां तक अभिलेख पर उसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध करने वाला साक्ष्य नहीं है। यद्यपि भागने के ऐसे प्रत्येक मामले के तथ्य इस श्रेणी में नहीं आ सकते हैं और अभियुक्त द्वारा प्रलोभन के साक्ष्य पर विचार करते हुए अभियोक्त्री की सहमति और उसके परिणामों या कि उसे उसके साथ भागने के लिए कैसे उस दिशा में ले जाया गया, का न्यायनिर्णयन किया जाना है, यह न्यायालय ऐसे भागने के प्रत्येक मामले में लागू कानून को अधिकथित नहीं कर रहा है।

11. इसलिए, यह न्यायालय दोहराता है कि हम कोई विधि अधिकथित नहीं कर रहा है, लेकिन केवल चेतावनी के साथ उल्लख कर रहे हैं कि वर्तमान जैसे मामलों में, न्यायालय अपराधियों के साथ नहीं, बल्कि दो ऐसे किशोर व्यक्तियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं जो प्यार में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे।

प्रेम निश्चित रूप से सहमति की आयु के बंधन को नहीं समझता था या जानता था क्योंकि प्रेमी केवल यह जानते थे कि उन्हें प्यार करने और उस प्रकार जीवन जीने का अधिकार है जो वे अपने लिए उचित समझते थे।

12. अभियोक्त्री और यहां अभियुक्त ने हृदय के मामले के वश में गलती की होगी, हालांकि किशोर मनोविज्ञान और किशोर प्रेम को न्यायालयों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इसलिए न्यायाधीशों को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ऐसे मामलों में जमानत को खारिज या मंजूर करते समय सावधान रहना होगा। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रारंभिक प्रेम संबंधों, विशेष रूप से किशोरों के प्रेम के प्रति दृष्टिकोण की उनके जीवन की वास्तविक स्थितियों की पृष्ठभूमि में जांच की जानी चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में उनके कार्यों को समझा जा सके। जो किशोर फिल्मों और उपन्यासों की रोमांटिक संस्कृति की नकल करने की कोशिश करते हैं, वे कानूनों और सहमति की उम्र से अनजान रहते हैं।

13. ***राजीव कुमार बनाम राज्य,*** *जमानत आवेदन 1379/2022*, वाले मामले में भी इस पीठ ने ऐसा ही विचार व्यक्त किया था।

14. न्यायालय ने पाया कि इस मामले में अभियोक्त्री, जो घटना के दिन कथित रूप से 16 साल की थी, कहीं काम कर रही थी क्योंकि यह प्राथमिकी से पता चलता है कि वह काम के लिए घर से निकली थी। विचाराधीन अभियुक्त, हालांकि जो केवल 19 साल का था, वह भी एक नाई की दुकान में काम कर रहा था,

जिससे पता चलता है कि दोनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लाभ प्राप्त नहीं था और उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति के कारण, उन्होंने कम उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। किसी भी मामले में काम करने वाले सामाजिक कारक और शक्तियां और किशोर अवस्था के प्रेम के मामलों की परिस्थितियां बहुत अधिक प्रतिशत मामलों में प्रकट करती हैं कि वे एक-दूसरे से शादी करना और एक-दूसरे के साथ बस जाना चाहते हों।

15. वर्तमान मामले में, संबंधित व्यक्ति से जुड़े सामाजिक दबाव और भावना का जवाब देते हुए और एक साल से अधिक समय से उस व्यक्ति के साथ स्थिर संबंध में रहते हुए, अभियुक्त और अभियोक्त्री दोनों अपनी घनिष्ठता में बेहतर भविष्य के लिए भाग कर बच निकलने के उपाय की तलाश कर रहे थे। उनके लिए, विवाह और संतान प्राप्ति करना एक युगल के रूप में खुद को स्थापित करने का सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका था। अभियुक्त का पिता मजदूरी का काम करता है। अभियोक्त्री 16 वर्ष की आयु में भी काम कर रही थी और अपनी बहन के साथ रह रही थी जो वह भी काम कर रही थी। चूंकि उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करने का लाभ प्राप्त नहीं था, इसलिए वे अपने प्रेम संबंध में एक उद्देश्य और पहचान की भावना खोजने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनका संबंध समय से पहले या आवेगी हो सकता है, लेकिन वे एक वर्ष से अधिक समय से एक-दूसरे को जानते थे। ये ऐसे मामले हैं, जिनसे निपटना न्यायालयों के लिए कठिन हो सकता है, जिसमें यह उचित नहीं होगा कि अभियुक्तों को न्यायिक

हिरासत में रखा जाए, ताकि उन्हें कठोर अपराधियों के साथ रखा जा सके, क्योंकि वे आपराधिक न्यायशास्त्र में उपयोग किए गए शब्द के अर्थ में 'अभियुक्त' नहीं हैं और ऐसा करना न्याय का उपहास होगा और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।

16. यह न्यायालय, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस तथ्य पर भी ध्यान दें देते हुए कि किशोर अवस्वथा के प्रेम के ऐसे मामलों में, वास्तव में मासूम किशोर लड़के और लड़कियां, कानून में सहमति की आयु 18 वर्ष होने से अनजान होने के कारण, जेल में या संरक्षण गृह में दिन काटते हैं। इसका उनके भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यायालय पाता है कि ऐसे मामलों में जेल में कैद होने से परेशानी होगी और अभियुक्त का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। हालांकि, न्यायालय कानून से बंधा हुआ है और इसलिए, इस स्तर पर, ऐसी परिस्थितियों में, केवल यह निर्देश दे सकता है कि अभियुक्त को उसकी जमानत की स्वतंत्रता दी जाए, न कि उसे जेल में डाला जाए।

17. इस न्यायालय के समक्ष यह कहा गया था कि अभियुक्त और अभियोक्त्री की शादी मई, 2023 के अंत में अस्थायी रूप से निश्चित है। किसी भी मामले में अभियोक्त्री, भले ही वह कथित घटना के समय 16 साल की हो (जिसे उसने अब चुनौती दी है), अब 18 वर्ष से अधिक की हो गई है। मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त/आवेदक की संबंधित विचारण

न्यायालय/लिंक न्यायालय/परवर्ती न्यायालय/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए 10,000/- रुपये की राशि के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत देने पर *रिहाई की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए* जमानत स्वीकार की जाती है। आवेदक को अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा, जिसे हर समय सक्रिय और काम करने की स्थिति में रखा जाएगा। दो महीने की अवधि समाप्त होने पर आवेदक संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।

18. यह न्यायालय, इस मामले में जमानत स्वीकार करते समय चेतावनी भरी एक टिप्पणी के रूप में और उपरोक्त विचार व्यक्त करते समय, स्पष्ट करता है कि इस तरह के प्रत्येक मामले का न्यायनिर्णयन उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर किया जाना है, और आयु संदेह की छाया में होने के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के बयान में निरंतरता और ऐसे मामलों में प्रलोभन या धमकी की कमी का न्यायनिर्णयन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर किया जाना है।

19. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन का निपटान किया जाता है।

20. आदेश को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.

8 मई, 2023/एनएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*